उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक C/4475 / जबलपुर, दिनांक 05/09/2022

श्रीमती इशरत जहॉं, कोर्ट अटेडेन्ट/रूम अटेडेन्ट/अटेडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट के पद पर वेतन बैंड–1 में वेतनमान रूपये 5200–20200 + ग्रेड पे रू. 1900/– (7 वें वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500–62000) के न्यूनतम मूल वेतन पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से परिवीक्षा पर 2 वर्ष के लिए आगामी आदेश पर्यन्त कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हिन्दी तथा अंग्रेजी मुद्रलेखन/CPCT Score Card of (MAP-IT) से उत्तीर्ण करने की शर्तों को शिथिल करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है कि उन्हें उक्त शैक्षणिक अर्हता 3 वर्ष में मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण करना होगा, असफल रहने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जावेगी :–

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

2. यह कि, वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक उन्हें किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है, और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियॉं दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा उनके विरूद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक

....2....

प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो उन्हें स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा।

3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।
4. यह कि, उन्हें स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण–पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
5. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
6. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
7. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
8. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
9. यह कि उन्हें नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त समझी जावेगी ।

10. यह कि उन्हें लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तो में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

11. यह कि वे पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

12. यह कि उन्हें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

5.9.2022
(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4476 / जबलपुर, दिनांक 05/09/2022

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./आई.एल/एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी,,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
4. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु,
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र., मुख्यपीठ जबलपुर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001 एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,

7. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम.)........................... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.)........................... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.)........................... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर (न्यायिक) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल. आर एवं एक्जाम महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. श्रीमती इशरत जहॉं, कोर्ट अटेडेन्ट/रूम अटेडेन्ट/अटेडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

/प्रीति/सी–3